12-13-98 [illegible] 0755765737

Attn: Abida Quries

ANNX P/2

(16)

SURESH T SILAWAT

Digitally signed by SURESH T SILAWAT
Date: 2023.09.06 11:57:11 +05'30'

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 19.12.98

क्रमांक एफ-1-[illegible] 2000 [illegible] अतः [illegible] शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि आयुक्त [illegible] नियुक्त [illegible] एवं [illegible] वर्ग के सहायक प्राध्यापकों को नियमितीकरण के लिये [illegible] (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 की तृतीय अनुसूची के सहायक प्राध्यापकों के संबंध में कालम 5 एवं 6 के प्रावधानों को [illegible] (आयु एवं शैक्षणिक योग्यता में) करते हुए उन्हें दिनांक 24.12.98 से नियमित किया जाता है एवं नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम जहां पदस्थ है	महा. का नाम जहां पदस्थ किया जाता है
	प्राणी शास्त्र	
1	श्रीमती [illegible] शा. [illegible] भोपाल।	शा. एन.वी.एम. भोपाल।
2	श्रीमती आबिदा शमीम कुरैशी, शा. नूतन कन्या महा. किला मैदान इन्दौर।	शा. नूतन कन्या महा. किला मैदान इन्दौर।
3	श्रीमती [illegible] शा.पी.जी.[illegible]	शा.पी.जी.महा. सीहोर।

2/ संबंधित [illegible] प्राध्यापकों की उनके शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं नियुक्ति के [illegible] अभिलेखों/जानकारी त्रुटिपूर्ण होने, संदेहास्पद पाये जाने पर नियमितीकरण/नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त [illegible]।

3/ [illegible] शिक्षा विभाग में बिना व्यवधान की [illegible]।

निरन्तर.....2/

4. प्रकरण [illegible] निर्धारित की जाएगी।

[illegible] के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(होशियार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

प्र.क./एफ-1/[illegible]/2003/[illegible] भोपाल दिनांक 10/12/03

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग म.प्र. इन्दौर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा,
   भोपाल/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर/इन्दौर संभाग/उज्जैन
6. अतिरिक्त संचालक, राजपत्रित शाखा-5
7. संबंधित क्षेत्रीय अति.संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.।
8. संबंधित प्राचार्य शा.स्नातक/स्नातकोत्तर/कन्या महाविद्यालय म.प्र.की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित अधिकारी।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 1989

क्रमांक 95/74 /38-1/89:- आदेश क्रमांक एफ 1/34/88/38-1/38, दिनांक 2-9-88 के अनुक्रम में मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (उच्च शिक्षा) के प्राणिशास्त्र विषय में कु० आबिदा कुरेशी को सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आपाती तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेशों तक रु. 700-40-1100-50-1300(ई.बी.)सेलेक्शन ग्रेड -50-1600 के यू०जी०सी० वेतनमान में निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है तथा इनका पदांकन शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय किला मैदान इन्दौर में किया जाता है :-

2/ यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

3/ आपाती तौर पर नि[illegible]क प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिए प्रथम अवसर आते ही म०प्र०लोक सेवा [illegible]योग से चयनित होना आवश्यक होगा। लोक सेवा आयोग की इस चयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का नाम नहीं पाया जायेगा उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

4/ यदि कु० आबिदा कुरेशी अपनी पदस्थापना के महाविद्यालय में दिनांक 25-1-89 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करती हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

5/ नियुक्त प्रत्याशी पी०एच०डी०/एम०फिल, स्नातकोत्तर/स्नातक, हायर सेकेण्ड्री के मूल प्रमाण-पत्रों/अंक सूचियों एवं म०प्र० के शासकीय महाविद्यालयों के अध्यापन-अनुभव के मूल प्रमाण-पत्र संबंधित प्राचार्य से सत्यापित करायेंगे।

6/ जिला चिकित्सालय का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7/ जिस महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है वहाँ का चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

......2

8/ यदि कु0 इरेशी कहीं कार्यरत रहीं है तो अपने नियोक्ता द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी देना आवश्यक हैं ।

9/ पद का नाम तथा वेतनमान किसी भी समय शासन द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
[signature]
(आई0एम0एन0 गोयल)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्र0 96/74/38-1/89, भोपाल, दिनांक 9 जनवरी, 1989

प्रतिलिपि:-

1/ आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, म0प्र0 भोपाल ।

2/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर म0प्र0 ।

3/ संबंधित प्रत्याशी अपने मूल प्रमाण-पत्रों को प्राचार्य से प्रमाणित कराने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करें ।

4/ विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग ।

5/ प्राचार्य, शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय, किला मैदान इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु । यदि आपके महाविद्यालय में पद रिक्त नहीं हो तो भी प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण कराकर इसकी सूचना पंजीकृत डाक से डा0डी0व्ही0जायसवाल, संयुक्त संचालक(1) उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल को अबिलंब भेजे ।

[signature]
(आई0एम0एन0गोयल)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

जाँच
9/1

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

महाविद्यालय HSC

क्रमांक 1353/21 दिनांक 16/11/21

प्रति,

नाम Amit Kumar Gupta

पिता/पति Mr Hanuman Prasad Gupta

पता SE, Sch No-71, Sai Residency, 404, Indore

विषय:- अतिथि विद्वान आमंत्रण ~~2020-21~~ 2021-22 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक।

संदर्भ:-आपका आवेदन क्रमांक 507409 दिनांक 16-11-2021

---00---

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको शासकीय होलकर विज्ञान (इन्दौर) महाविद्यालय में Mathematics विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र ~~2020-21~~ 2021-22 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त टयूटोरियल, रेमेडियल क्लासेसे आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वानों का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनाक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र ~~2020-21~~ 2021-22 अर्थात् 30 जून, ~~2021~~ 2022 के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक .... महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनांक 17-12-2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।

16.11.2021

Professor & Head
Department of Mathematics
Govt. Holkar Science College
INDORE (M.P.)

सचिव,
जनभागीदारी समिति,
शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय
इन्दौर

पृ. क्रमांक ....

दिनांक ....

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा .... संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

सचिव,
जनभागीदारी समिति,
प्राचार्य
शा. होलकर विज्ञान महाविद्यालय
इन्दौर

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय सेंधवा

क्रमांक 129/85 सेंधवा, दिनांक 7-1-85

कार्यालयीन-आदेश

इस कार्यालय के टेलिग्राम क्रमांक 1870/84 दिनांक 22-12-84 एवं 1/85 दिनांक 1-1-85 के सन्दर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 30 अप्रेल 85 तक के लिए तदर्थ व्याख्याता, को नियुक्ति वेतनमान 700-1600 के न्यूनतम वेतन रुपये 700/- पर अस्थायी तौर पर तदर्थ रुप से की जाती है ।

यह तदर्थ नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जिसे 30 अप्रेल 85 अथवा लोक-सेवा आयोग द्वारा चयन प्रत्याशी के पदांकन किए जाने अथवा स्थानान्तरण के फलस्वरूप पदभार ग्रहण किए जाने अथवा शासन के अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो समाप्त की जा सकेगी ।

क्र0	नाम	विषय	कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक
1.	कुमारी अमिता गोयल,	प्राणिशास्त्र	7-1-85
2.	श्री राजेश कुमार जैन,	रसायन शास्त्र	7-1-85

Sd/-

प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय, सेंधवा

दिनांक 7-1-85

पृ0क्र0 130 /85

प्रतिलिपि:- [illegible] ...सेंधवा, की ओर ।

... [illegible] नस्ती ।

4. कार्यालयीन प्रति ।

5. अवर सचिव, म0प्र0 शासन, भोपाल ।

प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय, सेंधवा

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 22 जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 26 /87/ए-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एम (1) द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक [illegible] विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रु0 700-40-1100-50-1300-अवरोध-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
(सा0) 138- श्रीमती अनिता [illegible] पत्नी श्री [illegible] (शासकीय महाविद्यालय, [illegible])	01.03.1964	शासकीय महाविद्यालय, [illegible]

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार/ नियुक्त किए गए हैं।

4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि {मास्टर्स डिग्री} के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि {यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है} प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

1/85 288/450 602/1022
64% 60.2%
442 days

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

Principal,
Govt. College,
Sendhwa (M.P.)

{जी0पी0तिवारी}
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ0 क्रमांक एफ 1/ 26 /87/स-1/38, भोपाल, दिनांक 22-6- 1987.

प्रतिलिपि :-

1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल {10 प्रतियों में}
3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
5- सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म0प्र0 इन्दौर.

Principal,
Govt. College,
Sendhwa (M.P.)

{पी0एस0मरहास}
उप अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित

Scanned with OKEN Scanner

(1)

कार्यालय प्रधानाचार्य
मा०ह०गृहविज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर म०प्र०

क्रमांक-1221-------८५ दिनांक-२६-४-८५----

आदेश

- - - - - - - - -

मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक ए-१।८३।७६।ई-५।२०। दिनांक ४-५-८१ में निहित निर्देशों के अन्तर्गत कु०-व-श्रीमती अनामिका चन्द्रलेखा जैन पति श्री अशोक जैन, को तदर्थ व्याख्याता रसायन शास्त्र के पद पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर रुपये ७००-१६००।- के न्यूनतम वेतन रुपये ७००।- पर तदर्थ व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया जाता है।

२ यह तदर्थ नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। यह नियुक्ति ३१-५-८५ तक अथवा लोकसेवा आयोग द्वारा चयन प्रत्याशी के पदांकन किये जाने अथवा स्थानांतरण के फलस्वरूप पदभार ग्रहण किये जाने अथवा शासन के अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो समाप्त हो जायेगी। यह नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

३ नियुक्त व्यक्ति को अपना पदभार ग्रहण करते समय उन समस्त मूल प्रमाण पत्रों का जिनका उल्लेख उन्होंने अपने आवेदन पत्र में किया है, भौतिक सत्यापन हेतु प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

प्रधानाचार्य
मा०ह०गृहविज्ञान महिला महाविद्यालय
जबलपुर

पृ०क्रमांक-1221-------- जबलपुर, दिनांक २६-४-८५

प्रतिलिपि:-

१- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
२- अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
३- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, म०प्र० सतपुड़ा भवन, ५ वीं मंजिल भोपाल
४- संबंधित व्यक्ति श्रीमती अनामिका अशोक जैन, ५२ बी०एक्सटेंशन जैन कालोनी, नेमीनगर, इन्दौर म०प्र०।

संबंधित व्यक्ति कृपया नोट करें:-

(१) आपको अपना पदभार दिनांक १-५-८५ तक (पूर्वान्ह) अवश्य ग्रहण कर लेना है, अन्यथा आपकी नियुक्ति आदेश को निरस्त माना जावेगा।
(२) नियुक्त स्थान में परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। इस दिशा में किये गये प्रयासों का नियुक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

५ अतिरिक्त संचालक (३) महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन ५ वीं मंजिल, भोपाल।

६ लेखाशाखा।

७ अन्य।

सत्य प्रतिलिपि

डॉ. सुरेश सिलावट
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
शास. कला एवं वाणिज्य महा. इन्दौर

प्रधानाचार्य
मा०ह०गृहविज्ञान महिला महाविद्यालय
जबलपुर म०प्र०

①

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 28 /87/स-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-स-6-30-86-एम (1) द्वारा म०प्र० राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक रसायनशास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रु0 700-40-1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
सा0 221. श्रीमती अनामिका चन्द्रलेखा पत्नी श्री अशोक जैन (शासकीय मो0स0गृहविज्ञान महिला महाविद्यालय, जबलपुर)	13-2-1962	मोती तबेला ~~शासकीय म०स०गृहविज्ञान महिला~~ महाविद्यालय, ~~जबलपुर~~ प्रमाणित किया जाता है कि आदेशानुसार सभी मूल अभिलेख पत्रों की जाँच कर जानकारी सही पाई गई । Principal Govt. Girls, Post Graduate College, Moti Tabela, Indore

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं ।

4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि ﴾ मास्टर्स डिग्री ﴿ के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि ﴾ यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है ﴿ प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

9 — P.G. — day
714/1100 — 759/1200 — 331
64.90% — 63.25%
01.05.81

Verified

Principal
Govt. Girls Post Graduate College,
Moti Tabela, Indore

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

﴾ जी०पी०तिवारी ﴿
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ० क्रमांक एफ 1/28 /87/स-1/38, भोपाल, दिनांक ------------ 1987.

1 5 JUN 1987

प्रतिलिपि :-

1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय

2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ﴾10 प्रतियों में ﴿

3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.

4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.

6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

﴾ पी०एस०मरहास ﴿
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 1989

क्रमांक 3679/3259/38-1/89 संलग्न परिशिष्ट में अंकित विषय/विषयों के प्रत्याशियों की मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (उच्च शिक्षा) में सहायक प्राध्यापक के पद पर आपाती तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक रुपये 2200-75-2800-100-4000 के यू०जी०सी० वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है तथा उनका पदांकन उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में किया जाता है ।

2/ यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

3/ आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिए प्रथम अवसर आते ही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा । लोक सेवा आयोग की इस चयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक का नाम नहीं पाया जायेगा उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

4/ नियुक्त प्रत्याशी को अपनी पद स्थापना के महाविद्यालय में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना है ।

5/ नियुक्त प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।

6/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

7/ सूची में नियोजित प्रत्याशियों द्वारा अपने नियोक्ता (यदि अभी कहीं सेवा में हैं, तो) द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर०के० माथुर) 8.11.89.
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

------

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	कु0 रचना वर्मा	तोमरे का मकान, वार्ड नं015, बालाघाट	शासकीय महाविद्यालय, सिवनी
27.	सुश्री रचना शुक्ला	301, करमचन्द चौक, बड़ा ताल, जबलपुर 482002	शासकीय कन्या महाविद्यालय खण्डवा
28.	कु0 अंगूरबाला लूनावत	द्वारा:- विद्यार्थी-78, रविशंकर नगर, उज्जैन।	शासकीय [illegible] महाविद्यालय [illegible] मनावर (धार)
29.	कु0 वीणा शर्मा	2-तिवारी कालोनी, शक्तिनगर, फ्रीगंज, उज्जैन	शासकीय महाविद्यालय, सेंधवा (खरगोन)
30.	कु0 नीता गुप्ता	कांग्रेस भवन के पीछे, तिलकनगर, बिलासपुर	शासकीय महाविद्यालय, बिलहा (बिलासपुर)
31.	सुश्री रीमा रामकृष्णन	द्वारा:-सी-नेहरूनगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर (खण्डवा)
32.	कु0 गीता मिश्रा	डी-[illegible]/74 बंगला, टी0टी0 नगर, भोपाल	शासकीय महाविद्यालय, खण्डवा
33.	एस0 मलाथी	9 [illegible] कालोनी, रेलवे स्टेशन के पास, ग्वालियर	शासकीय दिग्विजय महाविद्या[illegible] राजनांदगांव
34.	श्री शेखरकुमार सिन्हा	द्वारा:-एस0एन0 सिन्हा, लेडी हास्पीटल के पीछे, मणीपुरा, पो0 अंबिकापुर, जिला सरगुजा	शासकीय महाविद्यालय, अम्बाहगढ़ चौकी (राजनांदगांव)
35.	सुश्री अनीता मालेच्छा	गुलशाम हाउस, कोठी रोड, रीवा - 486001	शासकीय महाविद्यालय, पवई (पन्ना)
36.	सुश्री समीना कुरैशी	कमरान मेंशन, 7-मिर्जा [illegible] नईमबेगमार्ग, उज्जैन	शासकीय महाविद्यालय, (कन्या) नीमच (मन्दसौर)
37.	सुश्री विनीता अग्रवाल	58, रविनगर, ग्वालियर-2	शासकीय महाविद्यालय, [illegible] (छिन्दवाड़ा)
38.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39,	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40.	श्री रामबाबू सिंह (एस0 टी0)	म0नं0 B/53, कैलाशपुर, आगरा - 282005 उ0प्र0	शासकीय महाविद्यालय, [illegible]डोल (रायपुर)

पृ.क्रं. 3689/एफ-3259/[illegible]/89 भोपाल, दिनांक 8/XI/1989.

प्रतिलिपि :-

1/ [illegible]युक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 भोपाल ।

2/ समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. ।

3/ संबंधित प्रत्याशी, [उनके मूल प्रमाण पत्रों का प्राचार्य से प्रमाणित कराने के पश्चात [illegible] कार्यभार ग्रहण [illegible]]

4– [illegible] शिक्षा मंत्री [illegible] मध्यप्रदेश ।

5/ संबंधित [illegible] की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

अ– नियुक्त [illegible] की जन्म तिथि, पी.एच.डी./एम. फिल., स्नातकोत्तर, स्नातक, हायर सेकण्डरी के मूल प्रमाण पत्र/अंक [illegible] म0प्र0 के शासकीय [illegible] के अध्यापन अनुभव [यदि हो] के मूल प्रमाण-पत्र सत्यापित कर कार्यभार ग्रहण करायें । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा विकलांग प्रत्याशी के मूल प्रमाण पत्र भी सत्यापित करायें । बाद सत्यापन निम्न प्रपत्र में संबंधित सहायक प्राध्यापक का सम्पूर्ण विवरण अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रेषित करें :-

1– नाम 2– जन्म तिथि 3– विषय जिसमें नियुक्ति दी गई 4– वर्ग [सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांग/भूत पूर्व सैनिक [5– शैक्षणिक योग्यता-हायर सेकण्डरी, स्नातक, स्नातकोत्तर का पूर्णांक प्राप्तांक एवं [illegible] अंक तक [6– [illegible] फिल./पी.एच.डी. का परि[illegible] [illegible] विवरण [illegible]/विधवा होने का प्रमाण पत्र [illegible]

ब.– प्राचार्य यह भी सुनिश्चित करलें कि प्रत्याशी ने स्नातकोत्तर [illegible] [illegible] प्राप्त की है, जिसमें उसे नियुक्ति दी गई है, तथा [illegible] फिल./पी.एच.डी. विषयवत है ।

(हस्ताक्षर) 8.11.89

[आर.के.माथुर]

अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 19.12.03

क्रमांक एफ–1/208/2003/1/अडतीस– राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि आपाती रूप से नियुक्त सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के सहायक प्राध्यापकों को नियमितीकरण के लिये मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम 1990 की तृतीय अनुसूची में सहायक प्राध्यापकों के सबंध में कालम 5 एवं 6 के प्रावधानों को शिथिल (आयु एवं शैक्षणिक योग्यता में) करते हुए उन्हें दिनांक 24.12.98 से नियमित किया जाता हैं एवं नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में पदस्थ किया जाता हैं :–

क्रमांक	नाम विषय एवं महाविद्यालय का नाम जहाँ पदस्थ हैं	महा.का नाम जहां पदस्थ किया जाता हैं
रसायन शास्त्र		
1	डा. अलका सिंघल, शा.मोती तबेला महा. इन्दौर।	शा.मोती तबेला महा. इन्दौर।
2	डा.आनंद भूषण खरे, शा.पी.जी.महा.टीकमगढ।	शा.पी.जी.महा.टीकमगढ।
3	डा.अनिल कुमार शर्मा, शा.के.आर.जी.महा. ग्वालियर।	शा.के.आर.जी.महा. ग्वालियर।
4	डा.श्रीमति अनिता तिवारी, शा.विज्ञान महा. रीवा।	शा.विज्ञान महा.रीवा।
5	डा.अनुभा शर्मा, शा.महा.देवरी, सागर।	शा.महा.देवरी, सागर।
6	श्रीमती बिन्दुरानी गांधी, शा.महा.महू।	शा.महा.महू।
7	डा.गीता परियानी, शा.एम.जी.एम.महा.इटारसी।	शा.एम.जी.एम.महा.इटारसी।
8	श्रीमती क्षिप्रा राय, शा.सरोजनी कन्या महा. भोपाल।	शा.सरोजनी कन्या महा. भोपाल।
9	डा.कुमुद श्रीवास्तव, शा.एम.एल.बी.महा. भोपाल।	शा.एम.एल.बी.महा भोपाल।
10	श्रीमती मधु गुप्ता, शा.विज्ञान महा.रतलाम।	शा.विज्ञान महा.रतलाम।
11	डा.मालती रावत (दुबे), शा.कन्या महा. सागर।	शा.कन्या महा. सागर।
12	डा.ममता पाठक, शा.पी.जी.महा.छतरपुर।	शा.पी.जी.महा.छतरपुर।
13	श्रीमती ममता ओझा, शा.पी.जी.महा.नरसिंहपुर।	शा.पी.जी.महा.नरसिंहपुर।
14	श्री मनोहर लाल चन्दानी, शा.विज्ञान महा. जबलपुर।	शा.विज्ञान महा.जबलपुर।
15	डा.निलिमा शुक्ला, शा.पी.जी.महा.दतिया।	शा.पी.जी.महा.दतिया।
16	श्रीमति प्रभा चौहान, शा.विज्ञान महा.ग्वालियर।	शा.विज्ञान महा.ग्वालियर।

3198
2/1/04
INDORE

क्रमांक	नाम विषय एवं महाविद्यालय का नाम जहाँ पदस्थ हैं	महा.का नाम जहां पदस्थ किया जाता हैं
17	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, शा.विज्ञान महा.रीवा।	शा.विज्ञान महा.रीवा।
18	श्रीमती रमाराम कृष्णन, शा.एम.व्ही.एम. भोपाल।	शा.एम.व्ही.एम. भोपाल।
19	कु. शमीना कुरैशी, शा.कन्या मा.उज्जैन।	शा.कन्या मा.उज्जैन।
20	श्री संजय सिंह परिहार, शा.विज्ञान महा. रीवा।	शा.विज्ञान महा. रीवा।
21	डा. सतीश शितुत, शा.महा.मनावर, धार।	शा.महा.मनावर, धार।
22	डा.सुधा शर्मा, शा.महा.बैढन, सीधी।	शा.महा.बैढन, सीधी।
23	डा.सुनिल कुमार सिंह, शहरी विकास अधिकरण विदिशा में प्रतिनियुक्ति पर।	यथावत।
24	डा.सुरभी गर्दे, शा.पी.जी.महा. शहडोल।	शा.पी.जी.महा. शहडोल।
25	श्री अरूणा कक्कड, शा.विज्ञान महा. जबलपुर।	शा.विज्ञान महा. जबलपुर।
26	श्रीमती रचना सक्सेना, शा.महा.सिवनी।	शा.महा.सिवनी।
27	श्रीमती बीना पाठक (शर्मा), शा.महा. खाचरौद।	शा.महा. खाचरौद।
28	श्रीमती अंगूरबाला बाफना, शा.होल्कर विज्ञान महा. इन्दौर।	शा.होल्कर विज्ञान महा. इन्दौर।
29	श्रीमती विनिता अग्रवाल, शा.के.आर.जी.महा. ग्वालियर।	शा.के.आर.जी.महा. ग्वालियर।

2/ संबंधित आपाती अचयनित सहायक प्राध्यापकों की उनके शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं नियुक्ति के सबंध में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/जानकारी त्रुटिपूर्ण होने, संदेहास्पद पाये जाने पर नियमितीकरण/नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा।

3/ नियमितीकरण के दिनांक के पूर्व उच्च शिक्षा विभाग में बिना व्यवधान की सेवा गणना मात्र पेंशन प्रयोजन के लिए की जाएगी।

4/ इनकी पारस्परिक सेवा वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपालके नाम से तथा आदेशानुसार

(होशियार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. / एफ-1 / 208 / 2003 / अडतीस-1 भोपाल दिनांक 19.12.03

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 23.9.03

कमांक एफ–1/200/2003/1/अडतीस– राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि आपाती रूप से नियुक्त सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के सहायक प्राध्यापकों को नियमितीकरण के लिये मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम 1990 की तृतीय अनुसूची में सहायक प्राध्यापकों के सबंध में कालम 5 एवं 6 के प्रावधानो को शिथिल (आयु एवं शैक्षणिक योग्यता में) करते हुए उन्हें दिनांक 24.12.98 से नियमित किया जाता हैं एवं नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में पदस्थ किया जाता हैं :–

कमांक	नाम विषय एवं महाविद्यालय का नाम जहा पदस्थ हैं	महा.का नाम जहां पदस्थ किया जाता हैं
प्राणी शास्त्र		
1.	श्रीमती अंजली रस्तोगी, शा.नवीन विज्ञान महा.इन्दौर।	शा. महा. सैलाना,रतलाम।
2.	श्रीमती दीपाली दास, शा.के.आर.जी.ग्वालियर।	शा.पी.जी झाबुआ।
3.	श्रीमती जयश्री नायडू, शा.विज्ञान महा. जबलपुर।	शा.महा. नैनपुर।
4.	श्रीमती रचना जोशी(पण्डित), शा.के.आर.जी.ग्वालियर।	शा. महा. कुक्षी, धार।
5.	श्री राजीव कुमार तिवारी, शा.पी.जी.महा.सतना।	शा.महा. अनूपपुर, शहडोल।
6.	श्रीमती सीमा भोला, शा.पी.जी.महा.सतना।	शा.पी.जी.महा.सतना।
7.	डा.पी.भास्कर रेड्डी शा. महा. नागदा।	शा. महा. नागदा।
8.	डा.सुशीला श्रीवास्तव, शा.महा.शाजापुर।	शा.महा. मण्डलेश्वर।
9.	श्री अमित तिवारी, शा.विज्ञान महा.रीवा।	शा.विज्ञान महा.लखनादौन।

2/ संबंधित आपाती अचयनित सहायक प्राध्यापकों की उनके शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं नियुक्ति के सबंध में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/जानकारी त्रुटिपूर्ण होने, संदेहास्पद पाये जाने पर नियमितीकरण/नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा।

3/ नियमितीकरण के दिनांक के पूर्व उच्च शिक्षा विभाग में बिना व्यवधान की सेवा गणना मात्र पेंशन प्रयोजन के लिए की जाएगी।

निरन्तर....2/

4/ इनकी पारस्परिक सेवा वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपालके नाम से तथा आदेशानुसार

(होशियार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क./एफ–1/1200/2003/अडतीस–1 भोपाल दिनांक 23.9.07

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, सतपुडा भवन भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. सयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर/इन्दौर संभाग।
6. अतिरिक्त संचालक, राजपत्रित शाखा–5
7. संबंधित क्षेत्रीय अति.संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.।
8. संबंधित प्राचार्य शा.स्नातक/स्नातकोत्तर/कन्या महाविद्यानलय म.प्र.की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित अधिकारी।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

Pin no – 3210030

1 2	3	4
विषय:- विधि		
1. सुश्री अमिता शाह .	8 नागनाथ की गली खाचरीपुरा, उज्जैन	शासकीय महाविद्या नरसिंहगढ़
2. श्री अनिल श्रीवास्तव	80 पण्डारिवा, कन्या स्कूल के पीछे, उज्जैन	शासकीय महाविद्या रायसेन
3. श्री कृपाराम	ग्राम कंडीपुर, पोस्ट आफिस कटघरमूसा, कापट, फैजाबाद, (उ.प्र.)	शासकीय महाविद्याल कांकेर (बस्तर)
4. श्री जितेन्द्र तिवारी	द्वारा-आर.पी.राय, निगम बिल्डिंग, सिरमौर चौक, रीवा	शासकीय महाविद्यालय दीना
5. श्री आलोक कुमार जोशी	गायत्री कृपा स्वास्तिक सोसायटी, जामनगर-361008	शासकीय महाविद्याल मण्डला
6. श्री सुरेन्द्र कुमार यादव	ग्राम पाखनपुर, पोस्ट आफिस डागंज, जिला जौनपुर (उ.प्र.)	शासकीय महाविद्या बरेली (रायसेन)
7. सुश्री सविता कुमारी	एस.ई.सी.एल. हाउस नं. डी-6, इन्द्रा विहार सीपतरोड, बिलासपुर-495001	शासकीय महाविद्या बलौदा बाजार (सरगुजा)
8. श्री साकेत कुमार व्यास	28/ए, सरस्वती सदन, इन्दौर	शासकीय महाविद्या अलीराजपुर (झाबुआ)
9. श्री अली मेहदी	ग्राम बड़ागांव, पो.अ. सराय मोहिउद्दीन, जौनपुर (उ.प्र.)	शासकीय महाविद्या अशोकनगर (गुना)
विषय:- प्राणीशास्त्र		
1. सुश्री दीपा द्विवेदी	ई-1, प्रोफेसर कालोनी सिविल लाईन, बैतूल	शासकीय महाविद्यालय, सिवनी
2. डा. अंजली रस्तोगी	82/107, साउथ टी.टी.नगर भोपाल	शासकीय महाविद्यालय बरेली (रायसेन)
3. श्री अखिल तिवारी	40, सिविल लाईन, रीवा	शासकीय महाविद्याल सीधी
4. डा. रचना पाण्डेय	बी-3, स्टाफ क्वाटर, सरस्वती विहार, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर	शासकीय महाविद्याल डिन्डोरी (मण्डला)

निरन्तर -------

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर, 1989

क्रमांक 3679/3259/38-1/89 संलग्न परिशिष्ट में अंकित शिक्षक/शिक्षकों के प्रत्याशी को मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (उच्च शिक्षा) में सहायक प्राध्यापक के पद पर आपाती तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक रुपये 2200-75-2800-100-4000 के यू0जी0सी0 वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है तथा उनका पदांकन उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

3/ आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिए प्रथम अवसर आते ही मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा। लोक सेवा आयोग की इस चयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक का नाम नहीं पाया जायेगा उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

4/ नियुक्त प्रत्याशी को अपनी पद स्थापना के महाविद्यालय में यथाशीघ्र कार्यभार ग्रहण करना है।

5/ नियुक्त प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

6/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

7/ पूर्व में नियोजित प्रत्याशियों द्वारा अपने नियोक्ता (यदि अभी कहीं सेवा में हैं, तो) द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर0के0 माथुर) 8.11.89
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

कार्यालय, प्रधानाचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, खंडवा

क्रमांक 106/स्था0/85

दिनांक 17 जन0, 1985

// आ दे श //

मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1/63/79/सी-5 20, दिनांक 23-6-82 एवं अपर संचालक, शैक्षिक विभाग महा0इन्दौर के पत्र क्रमांक 248, दिनांक 1-1-85 में निहित निर्देशों के अनुसार कु0 अनुपम सक्सेना को यू0जी0सी0वेतनमान 700-1600 के न्यूनतम वेतन रू0 700-00 प्रतिमाह पर तदर्थ रूप से अवकाश रिक्ति में व्याख्याता रसायनशास्त्र के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित व्याख्याता के अवकाश पर रहने की तिथि तक के लिये नियुक्त किया जाता है ।

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है और बिना कोई कारण बताये कभी भी समाप्त कि जा सकती है ।

कार्यभार ग्रहण करते समय हायर सेकेन्डरी से स्नातकोत्तर परीक्षा तक की मूल अंक सूचियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें ।

दिनांक --21.1.85---- तक पद भार ग्रहण न करने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त कर दिया जावेगा ।

ह0

Principal,
Govt Girls Degree College,
KHANDWA.

पृ0क्रमांक 107/स्था0/85 दिनांक 17 जन0, 1985

प्रतिलिपि :-

1) कु0 अनुपम [illegible] सक्सेना ।
2) लेखापाल, शासकीय कन्या महाविद्यालय, खंडवा (दो प्रतियों में)
3) [illegible]

की सूचनार्थ अग्रेषित ।

[signature] 17/1/85

Principal,
Govt Girls Degree College,
KHANDWA.

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/28/87/ब-1/38 – मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ब-6-30-86-एम (1) द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक [redacted] विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रु0 700-40-1100-50-1300-अलेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
193· श्रीमती डॉ0 अनुपम सक्सेना पत्नी श्री नितिन सक्सेना (शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा)	13-7-1963	शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं ।

4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि { मास्टर्स डिग्री } के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि { यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है } प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

19/7/85 980/1450 781/1200
67.58% 65.08%
429 days
(427)
30.6.87

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

{ जी०पी०तिवारी }
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

पृ० क्रमांक एफ 1/ 28 /87/ए-1/38, भोपाल, दिनांक 15 JUN 1987 1987.

प्रतिलिपि :-

1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल {10 प्रतियों में }
3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

आदेश प्राप्त किए।
Saxena
30.6.87

[illegible] 427 दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया था जो कि पूर्व मेडिकल प्रमाण पत्र में कम नहीं किया गया था। 2 दिन कम करने पर 426 दिन का नियमितीकरण किया जाता है

{ पी०एस०मरहास }
उप ~~अवर~~ सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

30.6.87

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित

// श्री गुजराती समाज, इन्दौर //

// प०म०ब० गुजराती विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर //

क्रमांक 1673 / 97

दिनांक : 21-2-97

चयन समिति की बैठक दिनांक 20-08-96 में लिये गये निर्णयानुसार एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल के पत्र क्रमांक - 1312/13/9-ब/95-96/पो/96/1111 दिनांक 14-02-97 के अनुसार डॉ. अर्पणा गंधे को सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र के पद पर नियुक्ति वेतनमान रूपये 2200-4000 तथा नियमानुसार मंहगाई भत्ते पर आपके द्वारा महाविद्यालय में अपनी ड्युटी ज्वाइन करने के दिनांक से एक वर्ष के प्रोबेशन पिरीयड पर डॉ. एम. एल. गंगवाल के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुए पद पर की जाती हैं। आपका वेतन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से प्राप्त होने पर ही दिया जा सकेगा।

I. Ahmed

§ डॉ. इकबाल अहमद §
प्राचार्य,
प. म. ब. गुजराती विज्ञान
महाविद्यालय, इन्दौर.

Ghanshyambhai Patel

§ श्री घनश्यामभाई पटेल §
अध्यक्ष,
शासी-निकाय,
प. म. ब. गुजराती विज्ञान
महाविद्यालय, इन्दौर.

§ श्री भरतभाई दोशी §
मानद महामंत्री,
श्री गुजराती समाज,
इन्दौर.

प्रतिलिपी :-

01. श्रीमान अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म. प्र. शासन, भोपाल।
02. श्रीमान कुलसचिव महोदय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.
03. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, शिक्षण समिति, श्री गुजराती समाज, इन्दौर.
04. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, शासी निकाय, पमब. गुजराती विज्ञान महा. इन्दौर.
05. श्रीमान मानद महामंत्री महोदय, श्री गुजराती समाज, इन्दौर.
06. श्रीमान मानद हिसाबनीस, श्री गुजराती समाज, इन्दौर.
07. श्रीमान मानद कोषाध्यक्ष, श्री गुजराती समाज, इन्दौर.
08. श्री विभागाध्यक्ष,
....
09. श्री गणक, प. म. ब. गुजराती विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर.
10. डॉ. अर्पणा गंधे।

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 19/03/2012

क्रमांक एफ 1–185/2011/38–1 :: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को प्राध्यापक, रसायन शास्त्र के पद पर वेतनमान रूपये 37400–67000 + AGP 10000 में दो वर्ष की परिवीक्षा पर उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :–

स. क्र.	चयन सूची क्र.	आवेदक का नाम व पता	श्रेणी	पदस्थ महाविद्यालय का नाम
01	01	डॉ दिलीप कुमार, के–30/बी, फतेह नगर, जेल रोड, नई दिल्ली, – 110016.	अनारक्षित	शासकीय एस.एम.एस. महाविद्यालय, ग्वालियर।
02	04	डॉ अर्पणा गंधे, 13 स्टेट बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी, आनन्द बाजार के पास ,खजराना रोड, बीमा नगर,इंदौर – 452018.	अनारक्षित	शासकीय कन्या पीजी महाविद्यालय, उज्जैन।
03	07	डॉ नम्रता पाठक, 21, मधुवन कॉलोनी, बाबू छगलानी मार्ग, इंदौर – 452009.	अनारक्षित	शासकीय पीजी महाविद्यालय, महू जिला इंदौर।
04	08	डॉ गीता सरासन, 39–आर, मंगलमूर्ती कृष्णाजी नगर,स्कीम–77, मयूर हॉस्पीटल के पास, खजराना,इंदौर – 452016	अनारक्षित	शासकीय पीजी महाविद्यालय, झाबुआ।
05	11	डॉ सौरभ मुक्तिबोध, बी–121, एल.आई.जी. कॉलोनी, इंदौर – 452008.	अनारक्षित	माता जीजा बाई शासकीय महाविद्यालय, इंदौर।
06	15	डॉ माधवी माथुर, 102–जानरा कम्पाउंड, इंदौर – 452001.	अनारक्षित	शासकीय के.पी. महाविद्यालय देवास।
07	16	श्रीमती साधना श्रीवास्तव, 0–2, सिटी सेन्टर,साइट नं.–1, ग्वालियर – 474011	अनारक्षित	शासकीय एस.एल.पी. महाविद्यालय, ग्वालियर।

2/ चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग की चयनित मुख्य सूची के अनुसार रहेगी।

3/ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 के नियम 22 के अनुसार यह नियुक्तियां पदभारग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगी।

4/. नियुक्त प्रत्याशी को संभागीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

निरंतर.......2

5/ इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों का और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है। उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा।

6/ इन अधिकारियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगें।

7/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही छाया प्रतियां सत्यापित करना होगा सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण–पत्र वापस कर दिया जायेगा।

8/ यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई है नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण – पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवासी प्रमाण–पत्र, अनापत्ति प्रमाण–पत्र व अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण में यदि नियुक्ति पश्चात कोई असत्य पाया जाता है तो एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवायें समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

9/ नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा। शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यार्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10/ नवनियुक्त अधिकारियों के परिवीक्षा काल में पदस्थापना में परिवर्तन/स्थानांतरण का कोई भी प्रयास शासकीय सेवा के अयोग्य ठहराने के लिय पर्याप्त आधार होगा।

11/ ऐसे चयनित शासकीय सेवक जो दिनांक 01.01.2005 के पूर्व से राज्य शासन की नियमित सेवा में हैं, उनके संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2006/नियम/चार, दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू होगें। दिनांक 01.01.2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिए वित्त विभाग के उपरोक्त निर्देशानुसार अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

निरंतर........3

12/ उक्त सभी नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सी.बी.पड़वार)
उप सचिव
म.प्र.शा.,उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र.एफ 1–185/2011/1–38 भोपाल,दिनांक 19/03/2012

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.,सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. महालेखाकार, म.प्र.,ग्वालियर।
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (म.प्र.)।
6. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
7. संबंधित संभागीय चिकित्सा अधिकारी (म.प्र.)।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी (म.प्र.)।
9. संबंधित प्राचार्य की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया यह सुनिश्चित करें कि चयनित प्राध्यापक यदि पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो विधिवत संबंधित संस्था से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना पर पदभार ग्रहण करेगें। पदभार ग्रहण की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित ....

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

11. गार्ड फाईल।

उप सचिव
म.प्र.शा.,उच्च शिक्षा विभाग